रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1993/पौष 28, 1914
No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 1993/PAUSA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1993

विषय :— भविष्य निधियों, अधिवर्षता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए निवेश की प्रणाली ।

संख्या एफ. 11 (1)—पी.डी./93—इस मंत्रालय की दिनांक 17 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या एफ. 12 (1)—पी.डी./86 में भविष्य निधियों, अधिवर्षता निधियों

और उपदान निधियों के लिए विनिर्धारित निवेश प्रणाली 31 मार्च, 1993 तक वैध रहेगी। इन निधियों पर लागू होने वाली निवेश प्रणाली पहली अप्रैल, 1993 से निम्न प्रकार संशोधित हो जाएगी :

निवेश प्रणाली

	निवेश की जाने वाली राशि की प्रतिशतता
(1) (क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा में परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई हों ।	पन्द्रह प्रतिशत
(ख) कोई अन्य हस्तांतरणीय प्रतिभूतियां, जिसके मूल तथा ब्याज की केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण और बिना किसी शर्त के गारंटी दी गई हो ।	
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 30 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या 16 (1)-पी.डी./75 द्वारा आरम्भ की गई विशेष जमा योजना, जैसी कि वह दिनांक 12 जून, 1985 की अधिसूचना संख्या 16 (8)-पी.डी./84 द्वारा लागू की गई है ।	सत्तर प्रतिशत
(3) बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बांड/ प्रतिभूतियां	पन्द्रह प्रतिशत

2. विशेष जमा योजना में निवेश करते समय निधि/निधियां प्राशासित करने वाले प्राधिकारी को एक प्रमाण-पत्र जमा कार्यालय को देना होगा कि सरकार द्वारा निर्धारित निवेश प्रणाली का पालन किया गया है ।

3. जिन मामलों में धनराशियां केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों पर ब्याज और विशेष जमा राशियों पर ब्याज द्वारा प्राप्त होती हैं उनमें धनराशियों का विशेष जमा योजना के अन्तर्गत निवेश किया जा सकता है । इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्याभूत प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज का निवेश किया जा सकता है ।

पुर्णेन्दु भट्टाचार्य, अतिरिक्त बजट अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1993

Subject:— Pattern of Investment to be followed by Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds.

No.F. 11(1)-PD/93.—The pattern of investment prescribed in this Ministry's Notification No. F. 12(1)-PD/86 dated 17th March, 1986 for Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds will remain valid upto 31st March, 1993. The investment pattern applicable to these funds shall stand revised as follows effective from 1st April, 1993:

INVESTMENT PATTERN

	Percentage amount to be invested.
(i) (a) Government Securities as defined in Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government. (b) Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	Fifteen per cent
(ii) Special Deposit Scheme introduced by the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. F. 16(1)-PD/75 dated the 30th June, 1975, as extended by Notification No.F. 16(8)-PD/84 dated 12th June, 1985.	Seventy per cent
(iii) Bonds/securities of public sector financial institutions including banks.	Fifteen per cent

2. At the time of making an investment in the Special Deposit Scheme, the authority administering the fund/s shall furnish a certificate to the Deposit Office,

that the investment pattern prescribed by Government in this Notification has been followed.

3. Where moneys are received by way of interest on securities issued by Central Government and interest on Special Deposits, such moneys can be invested under the Special Deposit Scheme. Similarly, investments can be made in securities issued by State Governments or securities guaranteed by Government, the interest realised on such securities.

P.N. BHATTACHARYYA, Additional Budget Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993